



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM AND COMMUNICATION
(Setup by Act No.15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्र./अका./2024/1076

भोपाल, दिनांक 25/09/2024

अधिसूचना

National Education Policy (NEP) के अनुसार संचालित 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के ऐसे विद्यार्थी जिनके द्वारा इस पाठ्यक्रम के तीन वर्षों को उत्तीर्ण कर लिया हो किसी सत्र में बैकलाग/पूरक न हो एवं अंकसूची में Consolidation कर श्रेणी का उल्लेख किया गया हो एवं स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली गई है। उक्त विद्यार्थी विश्वविद्यालय द्वारा परिसरों एवं संबद्ध अध्ययन संस्थाओं में संचालित एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स (PGDCA) में प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

(वरिष्ठ स्तर से अनुमोदित)

आदेशानुसार

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)
प्रभारी कुलसचिव

भोपाल, दिनांक 25/09/2024

पृ./क्र./अका./2024/1076

प्रतिलिपि -

1. निज सहायक, कुलगुरु/कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. ममस्न विभागाध्यक्ष एवं परिसर प्रभारियों को सूचनार्थ।
3. निदेशक, संबद्ध अध्ययन संस्था को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
5. प्रभारी वेबसाईट को सूचनार्थ।
6. आदेश पुस्तिका।

(प्रो. (डॉ.) अविनाश वाजपेयी)
प्रभारी कुलसचिव